

संलग्नक-

मानक शर्ते

(वन अनुमान-3, उ0 प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/ 14-3-1980 / 82 दि. 31.12.64 द्वारा निर्धारित)

- १- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- २- प्रश्नान्तर भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- ३- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- ४- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि गांनी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- ५- हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की झाँति नहीं पहुँचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मूआवजे का भूगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- ६- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखभाल में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनायी गयी मुद्रे आदि का भी देखभाल करेगा।
- ७- हस्तान्तरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- ८- बहुमूल्य वन सम्पदा से आक्षणित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्र का हस्तान्तरण यथा सम्बव प्रस्तावित न किया जाय। अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा कियाजाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होमा कि वन सम्पदा की झाँतिपूर्ण एवं वन्य जन्तुओं से स्थलन्द विवरण की अपरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- ९- सिंचाइ विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नसंरियों/पांडों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुप्लिया उपलब्ध करायी जायेगी।
- १०- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन में करने पर वन भूमि रखत विना किसी प्रकार के प्रतिक्रिया का भुगतान किया जायेगा। वन भूमि की आवश्यकता, याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि Automatic रखत विना किसी प्रतिक्रिया का भुगतान किये जायेगा।
- ११- सङ्क निर्माण के प्रस्ताव पर एलाइग्नेंट तथा होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का पश्चात्यांतरण लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा। अधीक्षण अभियन्ता "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण" के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बन्धित पत्र संख्या 608/ सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण द्वारा किया जायेगा जैसे कि अस्व मार्ग बनाना, वन भागों का भाग्यली पैर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खाले से पर्याप्त न हो और नई सङ्क का निर्माण ही आवश्यक हो।
- १२- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित निलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- १३- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्बव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

Sheel Krishan Dhawan
शील कृष्ण धवन/
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम. डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प.)/Bareilly-243001 (U.P.)

- 14- हरतान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हरतान्तरित नूने के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेढ़ों का रोपड़ तथा तीन गर्म तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा नियमित किये जाये का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है इसी प्रकार बीज के पढ़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकता।
- 15- वन भूमि के ऊपर से नियुत लाइन ले जाने में यथा समव पेढ़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊचा करना रुनिश्वता किया जायेगा। यदि फिर भी पेढ़ों का कटान अनिवार्य परीत होता है तो न्यूनतम पेढ़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके राष्ट्रव्याप्रत उप वन संरक्षक द्वारा निश्वत की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुसोदन आवश्यक है।
- 16- यदि नहर आदि निर्माण में मूँझान की समावना होती है, और नहर की दीनी परिस्थियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से सवय करायेगा।
- 17- उपरिलिखित मानक नियमों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकारण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वह याचक विभाग को मान्य होगी।
- 18- वन विभाग का वार्तविक हरतान्तरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा लिखित रूप से आस्तासन प्राप्त हो जाये।

तिथि: / / 2017

स्थान:

शील कृष्ण धवन / Sheel Krishan Dhwani
 वा. (शील कृष्ण धवन) Sr. Manager (Bus. Secy)
 डॉ. मेनेजर (B.M.D.)
 इफिल्डर्सन ऑफिस कॉम्परेशन, लिमिटेड
 35-ए, कमला नगर, माला, 35-A, Kaintha Nehru Marg
 बरेली-243001 (उ.प.) Bareilly-243001 (U.P.)